

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बड़जलास - श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 44/2020

अपीलान्त	बनाम	रेस्पोजेन्ट
हजारीराम दत्तक पुत्र दीपाराम जाति गुर्जर निवासी भंवरिया तहसील डेगाना जिला नागौर।		उप तहसीलदार, सांजू तहसील डेगाना जिला नागौर।

उपस्थिति :-

1. श्री भंवरलाल सारस्वत अधिवक्ता अपीलान्त की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक:25.03.2021

{1}-मामलें के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्त ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उप तहसीलदार, सांजू द्वारा धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 48/2020 सरकार बनाम हजारीराम में निर्णय दिनांक 19.08.2020 के तहत मौजा भंवरिया के खसरा नं. 53 रकबा 0.04 हैक्ट. गै.मु. रास्ता तथा खसरा नं. 23 रकबा 0.12 हैक्ट. गै.मु. सडक भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 02.09.2020 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्त की अपील दिनांक 01.10.2020 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोजेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया। अपीलान्त द्वारा अपनी अपील के समर्थन में उप तहसीलदार सांजू के प्रकरण सं. 48/2020 सरकार बनाम हजारीराम के फर्द अहकाम दिनांक 17.8.20 से 19.08.20 की फोटोप्रति, निर्णय दिनांक 19.08.20 की फोटोप्रति, नोटिस की फोटोप्रति, पटवारी रिपोर्ट की फोटोप्रति, नक्शा ट्रेस की फोटोप्रति, फोटो की फोटोप्रति तथा नक्शा की फोटोप्रति पेश की। रेस्पोजेन्ट की ओर से श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए।

{2}-उभयपक्ष के वकूलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलान्त ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि-

{2}(I)-अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को बिना जवाब के अवसर दिये व साक्ष्य, सबूत पेश करने हेतु समुचित अवसर दिये बिना ही किसी सुनवाई के निर्णय जैर अपील पारित किया है, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। दिनांक 17.08.20 को नोटिस दिया और दिनांक 19.08.20 को निर्णय पारित कर दिया, जो विधि के सामान्य सिद्धान्तों के विरुद्ध होने से निरस्तनीय है।

{2}(II)-अपीलान्त के कब्जे काश्त व खातेदारी का खेत पूर्व में खसरा नं. 24 था, उसके पश्चात बंटवाडा होने पर उसके कुल चार खसरान बने। खसरा नं. 24, 129/24, 130/24 व 131/24, जो कुल मिलाकर 47 बीघा 02 बिस्वा है। यानि अपीलान्त का खेत मौके पर आज मात्र 40 बीघा है। यानि अपीलान्त व अन्य सह खातेदारों का खेत खातेदारी के हिसाब से मौके पर कम है। यानि अपीलान्त के खेत के चिपते ही आबादी भूमि आयी हुई है और आबादी भूमि में जिन लोगों के मकान व बाड़े थे, उन लोगों ने अपीलान्त के खेत पर अतिक्रमण कर लिया। अपीलान्त द्वारा नाप करवाने पर उसे यह जानकारी हुई कि उसका खेत मौके पर कम है और पडोसियान के द्वारा अतिचार किया है, तो अपीलान्त ने उनको अतिचार की गई भूमि को छोड़ने के लिये कहा, तब उन्होंने अपीलान्त के खिलाफ झूठी मनगढत आधार पर शिकायत कर दी। जिससे अपीलान्त चुप हो जाये और उसके खेत पर जो उनके द्वारा अतिचार किया गया है, वो हटाना न पडे। जिससे शिकायतकर्ता ने पटवारी से मिलकर झूठी रिपोर्ट पेश करवायी। जबकि पटवारी द्वारा किसी भी तरह का नाप नहीं किया गया और न ही यह दर्शाया गया कि अपीलान्त का बाड बनाकर कितनी चौड़ाई व कितनी लंबाई में कब्जा किया हुआ है, मात्र मनगढत रूप से 0.04 हैक्ट. भूमि पर अतिक्रमण करना बता

Page 1 of 3

अपर कलक्टर, नागौर

दिया। जबकि मौके पर आज भी अपीलांट उसी स्थान पर काबिज है, जिस स्थान पर उनके पूर्वज थे और अपीलांट का खेत आज भी मौके पर कम है यानि अपीलांट ने एक इंच भूमि पर भी कब्जा नहीं किया और न ही कब्जा है। अगर अधीनस्थ न्यायालय अपीलांट के खेत का प्रशिक्षित पटवारी या टीम गठित कर नाप करवा लेते, तो वास्तविक स्थिति सामने आ जाती और दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को अतिक्रमी मानकर बेदखली का आदेश पारित कर दिया, जो वास्तविक मौके की स्थिति व रिकॉर्ड के विरुद्ध होने से निरस्तनीय है।

{2}(III)—अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में उल्लेख किया है कि अपीलांट ने कोई जवाब नहीं दिया, इसका तात्पर्य यह है कि उसका कब्जा है, इसलिये अतिक्रमी घोषित किया जाता है, जो इस बात का द्योतक है कि अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलांट को बिना किसी साक्ष्य सबूत का अवसर दिये और पटवारी से भी बिना किसी साक्ष्य व बिना मौका रिपोर्ट के आधार पर निर्णय जैर अपील पारित किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(IV)—रास्ता खोलो अभियान के तहत पटवारी डावोलीमिठी द्वारा मौजा भंवरिया के खसरा नं. 53 रकबा 0.04 हैक्ट. किस्म गै.मु. रास्ता व खसरा नं. 23 रकबा 0.12 हैक्ट. किस्म गै.मु. सडक पर अपीलांट का अतिक्रमण करना बताया है, जबकि मौके पर रास्ता मौजूद है। रास्ता सैकडो वर्षों से निर्विवाद रूप से इसी स्थान पर चल रहा है और रास्ते पर जिनका वास्तविक में अतिक्रमण है, उनको पटवारी द्वारा न तो नोटिस दिया गया और न ही कोई कार्यवाही की गई, मात्र अपीलांट को परेशान करने की नियत से मनगढंत तथ्यों के आधार पर अतिक्रमण बताकर रिपोर्ट पेश कर दी और खसरा नं. 23 जहां मौके पर आज गौरव पथ बना हुआ है, जो मौके पर चालू है, जिस पर अपीलांट द्वारा अतिक्रमण नहीं किया गया है, परंतु पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय जैर अपील पारित किया है, जो खारिज करने योग्य है।

{2}(V)—अपीलांट के खेत का प्रशिक्षित पटवारी या तहसीलदार या उप तहसीलदार या रेवेन्यु निरीक्षक की टीम गठित कर मौके का यानि अपीलांट के खेत का मुस्तकिल पाइंट से नाप करवाया जाता है और आबादी भूमि का नाप करवाया जाता है तो वास्तविक स्थिति सामने आ जायेगी और टीम के द्वारा अगर अपीलांट का कब्जा पाया जाता है तो अपीलांट अविलम्ब कब्जा हटाने के लिये तैयार है। परंतु अपीलांट का खेत मौके पर कम है। उसने अतिचार नहीं किया और इस आदेश की पालना में उनकी बाड हटा दी जाती है तो उनके संवैधानिक अधिकारों की हत्या होगी और उनके हितों पर भारी कुठाराघात होगा। वर्तमान में अपीलांट के खेत में फसल परिपक्व अवस्था में है, अगर आदेश की पालना में उसकी बाड हटा दी जाती है तो आवारा पशु उसकी फसलों को चट कर देंगे और उन्हें भारी आर्थिक नुकसान होगा। जिसकी पूर्ति किसी भी तरह के मुआवजे से नहीं हो सकेगी। इसलिये न्याय के सामान्य सिद्धान्तों के अनुसार रेवेन्यु रिकॉर्ड के अनुसार अपीलांट के खेत का नाप कर और आबादी भूमि का नाप कर वास्तविक मार्ग का सीमांकन किया जाता है तो अपीलांट के साथ न्याय होगा और वास्तविक स्थिति सामने आयेगी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने जो बिना किसी शहादत सबूत और विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना जो आदेश पारित किया है। वो खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(VI)—अपीलांट का खेत रास्ते की तरफ कम से कम 76 फुट कम है, जो इस बात का द्योतक है कि अपीलांट का रास्ते की भूमि पर लेसमात्र भी कब्जा नहीं है। अपीलांट गुर्जर जाति के हैं, पूर्वज अनपढ थे, जिनका नाजायज फायदा उठाकर रास्ता भी उनके खेत में ही निकाल दिया गया, मूल रास्ता पर कब्जा कर लिया गया और जब अपीलांट को ही अतिक्रमी माना जा रहा है। जो स्वतंत्र भारत में किसी भी नागरिक के संवैधानिक अधिकारों पर कुठाराघात है। अगर मौके पर जाकर पटवारी अपीलांट के खेत का नाप करता और रास्ते का सही ढंग से सीमांकन करता, तो वो अपीलांट को कभी भी अतिचारी नहीं मानता। परंतु पटवारी द्वारा बिना किसी जांच के बिना किसी नाप के अपीलांट को रास्ते की भूमि पर अतिक्रमी बता दिया, जो अपीलांट के साथ सरासर अन्याय है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय जैर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(VII)—इसी रास्ते पर पूर्व में ग्रेवल सडक बनी, फिर डामरीकरण हुआ और उसके पश्चात गौरव पथ बना। जिस पर सरकारी खर्चा लगभग चालीस लाख रु. हुआ। जो आज मौके पर मौजूद है। किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं है। अगर रास्ता वर्तमान में चल रही सडक के स्थान पर नहीं होता, तो सरकार द्वारा उस स्थान पर न तो सडक बनती और न ही गौरव पथ बनता और उस समय भी पटवारी या रेवेन्यु

अधिकारी के सीमा ज्ञान के आधार पर ही सरकारी खजाने का उपयोग किया गया। यानि गौरव पथ बनाया गया। उस समय किसी ग्रामवासी या पटवारी या तहसीलदार द्वारा रास्ता इस स्थान पर नहीं होने की शिकायत की यानि गौरव पथ बनते समय किसी ने भी कोई भी शिकायत नहीं की। परंतु जब अपीलांट ने अपने खेत की भूमि पर अतिचार करने वालों को कब्जा हटाने के लिये कहा, तो उन्होंने उसे दबाने की नियत से झूठी शिकायत पेश की और पटवारी ने शिकायतकर्ता ने कहा अनुसार झूठी रिपोर्ट पेश कर दी। जबकि अपीलांट का गै.मु. रास्ते की भूमि पर कोई कब्जा नहीं है।

{2}(VIII)—पटवारी को पूर्व में सीमा ज्ञान का निर्देश मिला, तो उसने कहा कि मुझ अकेले के द्वारा सीमा ज्ञान करना मुमकिन नहीं है। टीम गठित करने से ही सही सीमा ज्ञान होगा, परंतु बाद में पटवारी द्वारा ही अतिक्रमण करने की रिपोर्ट पेश कर दी जाती है जिससे भी पटवारी की रिपोर्ट संदेहजनक है और उस रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमण मानना गलत है। ऐसी स्थिति में भी निर्णय जैर अपील खारिज किये जाने योग्य है।


{2}(IX)—अपीलांट के खेत का मुस्तकिल पोइंट से नाप करवाकर अपीलांट के विरुद्ध अगर उसका कब्जा पाया जाता है तो अतिक्रमी मानकर कार्यवाही करना न्याय संगत था। जब तक सही सीमा ज्ञान नहीं होता, तब तक अपीलांट को बेदखल करना न्याय संगत नहीं होने से निर्णय जैर अपील निरस्तनीय है।

{3}—राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा भंवरिया में स्थित रास्ता व सडक भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}— उभयपक्ष के वकूलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके भंवरिया के खसरा नंबर 53 रकबा 0.04 हैक्ट. किस्म गै.मु. रास्ता व खसरा नं. 23 रकबा 0.12 हैक्ट. किस्म गै.मु. सडक भूमि पर अपीलांट का अतिक्रमण मानते हुए बेदखली एवं जुर्माना से संबंधित आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट का पुत्र पूनाराम उपस्थित हुआ है। आराजी भूमि की किस्म गै.मु. रास्ता व सडक है। जिसके चिपती ही अपीलांट की खातेदारी भूमि होना बताया गया है। अपीलांट द्वारा यह भी बताया गया कि मौके पर नाप चोप कर अतिक्रमण बताया जाता है तो वो छोड़ने हेतु तैयार भी है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}— उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि नाप चोप हेतु एक टीम गठित की जाकर मौके पर आराजी भूमि की पैमाईश मुस्तकिल पाईन्ट निर्धारित कर पूर्व सूचना देकर अपीलांट की मौजूदगी में करवायी जावे तथा नाप चोप में यदि अपीलांट का अतिक्रमण पाया जाता है तो अपीलांट तत्काल अतिक्रमण हटाकर अधीनस्थ न्यायालय में अतिक्रमण हटा लेने एवं भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने का शपथ पत्र पन्द्रह दिवस में प्रस्तुत करेगा। जिसका अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सत्यापन किया जायेगा। यदि अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो आदेश जैर अपील यथावत कायम रहेगा।

{6}— निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(मनोज कुमार)
अपर कलेक्टर,
नागौर